राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे– ।।/

दिनांक : 10 मार्च 2014

परिपत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के स्थानान्तरण आदेश/ आदेशों की प्रतीक्षा से सम्बन्धी आदेश निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाते रहे हैं। ये समस्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर भी डाले जाते है । आदेशों की प्रतीक्षा से सम्बन्धित आदेशों में बहुत से कार्मिकों का मुख्यालय कोष/ उपकोष किया जाता है । कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि सम्बन्धित कार्मिकों ने अपने आदेशों की प्रतीक्षा के मुख्यालय पर रिपोर्ट नहीं की है और वे लम्बे समय से मूल पदस्थापन कार्यालय में ही कार्य करते रहते हैं जिसकी सूचना सम्बन्धित कोषालय/! उपकोषालय एवं इस निदेशालय को नहीं रहती हैं । इस स्थिति में निदेशालय द्वारा जारी आदेशों की एक तरफ तो अवहेलना होती है तथा दूसरी तरफ अनियमित वेतन आहरण की स्थिति भी उत्पन्न होती है ।

अतः समस्त कोषाधिकारियो/ उपकोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के जिन कार्मिको को आदेशों की प्रतीक्षा के रूप में रखा जाता है, उन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें । आदेशों की पालना में किसी तरह की अवहेलना किये जाने की स्थिति में, सम्बन्धित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को सूचित किया जावे। आदेशों की प्रतीक्षा में रहे कार्मिक का वेतन आहरण वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है अतः जिनको आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना ऐसे कार्मिकों का किसी अन्य पद के विरूद्ध अनियमित वेतन भुगतान नहीं हो इसके लिए कोषालय/ उपकोषालय स्तर पर विशेष सर्तकता रखी जावे ।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
कोष एवं लेखा

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे– ।।/ 20607–21110

दिनांक : 10 मार्च 2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक – प्रथम/द्वितीय)
2. सयुंक्त निदेशक (प्रशासन/विधि/कोष/आईएफएमएस)
3. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट हेतु
4. समस्त कोषाधिकारी/ उपकोषाधिकारी को पालनार्थ
5. समस्त सहायक निदेशक (कॉडर/अलेसे–I/अलेसे–II/अलेसे–III)
6. समस्त कार्मिक अलेसे–I/ अलेसे–II/ अलेसे–III
7. वरिष्ठ निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)
8. निजी सहायक निदेशक महोदया

(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–1)